



संख्या: लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2019-20/01-958 दिनांक: 13 फरवरी, 2020

### कार्यालयादेश

अभातृशिप एव कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर की अपेक्षानुसार संस्थानों में 'ग्रीवेन्स रिड्रेसल कमेटी (Grievance Redressal Committee) की स्थापना को अनिवार्य किया गया है। संस्था में पूर्व में कार्यालयादेश संख्या लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2019-20/01-859 दिनांक 08 सितम्बर, 2017' द्वारा गठित 'ग्रीवेन्स रिड्रेसल कमेटी' (Grievance Redressal Committee) को संशोधित करते हुए निम्नवत् समिति का पुर्नगठन किया जाता है।

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. प्रो0राजीव कक्कड, विभागाध्यक्ष                    | अध्यक्ष (OMBUDSMAN) |
| 2. प्रो0रितु गुलाटी, एसोसियेट प्रोफेसर               | सदस्य।              |
| 3. श्री ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर | सदस्य।              |

संस्था द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

(प्रो0वन्दना सहगल)  
प्रधानाचार्या एवं अधिष्ठाता।

प्रतिलिपि संख्या लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2019-20/01-958 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विभागाध्यक्ष
2. कुलानुशासक।
3. समिति के उपरोक्त समस्त सदस्यों को।
4. समस्त स्टॉफ मेम्बर्स को सरकुलेशन द्वारा।
5. नोटिस बोर्ड्स।
6. गार्ड फाइल।

(प्रो0वन्दना सहगल)  
प्रधानाचार्या एवं अधिष्ठाता।